Airo International Research Journal
Peer Reviewed Multidisciplinary Indexed Journal
ISSN: 2320-3714
Volume:2 Issue:3 September 2013

भारत की राजनीती पर आरक्षण के प्रभाव का अध्यन

Ritesh Mishra
Research Sscholar (Political Science), Singhania University Jhunjhunu, (Raj)
Dr. Dinesh Kumar Sewag
Research Supervisor (Political Science), N.S.P College Bikaner (Raj.)

आरक्षण देश में आज एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जिसे हर एक पार्टी, हर एक नेता और सबसे बड़ी बात की देश की हर नयी उभरती हुयी पार्टी इसे दिल से अपनाना चाहती है क्युँकी उनका ये आरक्षण–लगाव उन्हें कम मेहनत पर भी अच्छा परिणाम दे देती है । यहाँ आरक्षण–लगाव का मतलब जातिगत लगाव है क्युँकी आरक्षण का देश में फिल–हाल तो यही मतलब दिखता है । अतः सरकार, पार्टी, नेता आदि लोगों से आरक्षण को सही तरह से परिभाषित या आरक्षण की समीक्षा करनें की अपेक्षा करना, अपेक्षा करना मात्र होगा। इसके लिये जन आन्दोलन की आवश्यकता है और वो भी क्षेत्रिय या प्रान्तीय स्तर पर नही राष्ट्रिय स्तर पर । आरक्षण की समीक्षा करनें के लिये सबसे पहले तो ये सोचना है कि आरक्षण जरुरी है भी या नही ? हमारे देश में विभिन्न तबके के लोग रहतें है। कुछ तो अच्छा जीवन यापन कर रहें हैं परन्तु कुछ कई वर्षों से दबे–कुचले और अस्पृश्यता का शिकार हैं । अतः समाज के सभी तबकों का देश की मुख्य धारा से जोड़नें के लिये आरक्षण अति आवश्यक है।

1. प्रस्तावना

आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसकी नींव अब राजनीति का महल बनाती जा रही है, जिसे ना तो तोड़ा जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है। क्या आरक्षण राजनीति की विरासत बनक रह गई है या अपने उस विशेष उद्देश्य को प्राप्त कर पाई है, जिसे ध्यान में रख कर उसके बीज बोए गए थे? क्या ये बीज एक फलदार पेड़ का रूप धारण कर पाए हैं या सिर्फ एक शो प्लांट बन कर रह गए हैं?

वैसे एक इल्जाम तो यह भी है कि रेस के घोड़े की रफ्तार कम करने के लिए आरक्षण रुपी बेड़ियों का सहारा लिया गया। भारत में आरक्षण का उद्देश्य सत्ता, शिक्षा और नौकरी के मामलों में सभी वर्गों को समान भागीदारी उपलब्ध कराना है, जिसके तहत अधिनियम 1935 में आरक्षण का प्रावधान किया गया। संविधान के 15वें व 16वें अनुच्छेद के तहत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

1942 में डॉ. भीम राव अम्बेडकर ने एससी, एसटी की उन्नति के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की, जिसके

बाद वह 1947 में संविधान सभा के अध्यक्ष भी बने। 13 दिसम्बर 1946 को पंडित जवाहर लाल नेहरू ने संविधान सभा की बैठक में अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़े वर्गों के हितों के संरक्षण में एक प्रस्ताव रखा, जिसका अधिकतर सदस्यों ने समर्थन भी किया।

इसके बाद संविधान ने सरकारी शिक्षण संस्थानों की खाली सीटों तथा सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों की नौकरियों में एससीध्एसटी के लिए 15: और 7.5: आरक्षण तय किया, जो 10 वर्षों के लिए था और उसके बाद इसके हालात की समीक्षा करने की बात कही गई।

2. आरक्षण क्यों दिया जाता है?

भारत में सरकारी सेवाओं और संस्थानों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रखने वाले पिछड़े समुदायों तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भारत सरकार ने सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों और धार्मिकध्भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को छोड़कर सभी सार्वजनिक तथा निजी शैक्षिक संस्थानों में पदों तथा सीटों के प्रतिशत को आरक्षित करने के लिए कोटा प्रणाली लागू की है. भारत के संसद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए भी आरक्षण नीति को विस्तारित किया गया है.

3. आरक्षण की वर्तमान स्थिति

वर्तमान में भारत की केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा में 49.5फीसदी आरक्षण दे रखा है और विभिन्न राज्य आरक्षणों में वृद्धि के लिए अनुच्छेद–16(4) के आधार पर कानून बना सकते हैं. सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार 50फीसदी से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, लेकिन राजस्थान और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों ने क्रमशः 68फीसदी और 87फीसदी तक आरक्षण का प्रस्ताव रखा है, जिसमें अगड़ी जातियों के लिए 14 फीसदी आरक्षण भी शामिल है.

4. आरक्षण के संबंध में संवैधानिक प्रावधानः–

- संविधान के भाग तीन में समानता के अधिकार की भावना निहित है. इसके अंतर्गत अनुच्छेद– 15 में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के साथ जाति, प्रजाति, लिंग, धर्म या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा. अनुच्छेद 15(4) के मुताबिक यदि राज्य को लगता है तो वह सामाजिक,शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है.
- अनुच्छेद 16 में अवसरों की समानता की बात कही गई है. अनुच्छेद 16(4) के मुताबिक यदि

राज्य को लगता है कि सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उनके लिए पदों को आरक्षित कर सकता है.

- अनुच्छेद– 330 के तहत संसद और 332 में राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं.
- अंत में हम यह कह सकते हैं कि भारत में आरक्षण की शुरूआत सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को समृद्ध बनाने के लिए हुई थी. लेकिन समय के साथ आरक्षण वोट बैंक की राजनीति का शिकार बनती चली गई. वर्तमान समय में हर राजनितिक दल सत्ता प्राप्ति के लिए आरक्षण शब्द का उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण आरक्षण का मूल उद्देश्य समाप्त होता जा रहा है.

5. राजनीतिक आरक्षण और विकास

हम भारत में ऐसे राजनीतिक 'अनुसूचित क्षेत्रों' का अध्ययन करते हैं, जहां एक राजनीतिक कोटा के अंतर्गत आधी पंचायतें (ग्राम परिषदों) एवं नेतृत्व के सभी पद ऐतिहासिक रूप से वंचित अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए आरक्षित है। हम प्रशासनिक कोटा सीमा के एक ओर स्थित गांवों की तुलना ठीक दूसरी ओर स्थित गांवों से करते हैं, और ये गांव जहाँ तक संभव हों बिल्कुल एक जैसे हैं, सिवाय इसके कि कुछ को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में रेखांकित किया गया है। हमारी मुख्य जांच दुनिया के सबसे बड़े रोजगार कार्यक्रम – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)1 का कार्यान्वयन है। मनरेगा और अनुसूचित क्षेत्र के कोटे का उद्देश्य आर्थिक और राजनीतिक रूप से हाशिए वाले समूहों को सशक्त बनाना है, उनकी पारस्परिकता का अध्ययन विशेष रूप से प्रतिज्ञानात्मक कार्रवाई पर संशयकरने वाले लोगों के दावों की जांच करता है। हम मूल्यांकन करते हैं कि क्या संशय करने वाले लोगों का यह दावा सही है कि अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व आत्म–पराजय के रूप में होगा, जिसमें वह उस आबादी की आर्थिक संभावनाओं को नुकसान पहुंचाता है जिसे सशक्त बनाने के लिए इसे बनाया गया था? मनरेगा का डाटा हमें समग्र परिणामों का मूल्यांकन करने के साथ हीसाथ कोटा द्वारा लक्षित अल्पसंख्यक समूह(एसटी), एक गैर–लक्षित अल्पसंख्यक समूह (अनुसूचित जाति या एससी), और तुलनात्मक विशेषाधिकार प्राप्त अवशिष्ट श्रेणी (गैर–एससीध्एसटी) के लिए परिणामों का मूल्यांकन करने में भी सक्षम बनाता है। नीचे दी गई आकृति 1 भारत भर में मनरेगा कार्यान्वयन तथा साथ ही देश में अनुसूचित क्षेत्र पाए जाने के संबंध में हमारे अभिप्राय में भी काफी भिन्नता दिखाती है।

हम पाते हैं कि मनरेगा वितरण लक्षित अल्पसंख्यकों (एसटी) की स्थिति में काफी हद तक सुधार करता है, जो अनुसूचित क्षेत्रों में 24: अधिक मनरेगा कार्य दिवस प्राप्त करते हैं। यह सुधार मुख्य रूप से गैर–एससीध्एसटी हेतु कार्य की कीमत पर आता है, जो 11.5: कम कार्यदिवस प्राप्त करते हैं। हमें कोई सबूत नहीं मिला कि यह कोटा गैर–लक्षित, ऐतिहासिक रूप से वंचित अल्पसंख्यकों (एससी) के लिए रोजगार में किसी बदलाव का कारण बनता है। कुल मिलाकर, परिणाम यह संकेत देते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी कार्यक्रमों की डिलीवरी गैर–अनुसूचित क्षेत्रों की तुलना में बदतर नहीं है। आकृति 2 में मनरेगा के काम का हिस्सा अनुसूचित बनाम अन्य क्षेत्रों में समूह की आबादी के अनुपातों के अनुरूप दिखाया गया है। कुल मिला करहमारे निष्कर्ष प्रतिज्ञानात्मक कार्रवाई नीतियों की आलोचनाओं को नकारते हैं – लक्षित हाशिए वाले समूहों को कोटा से लाभ मिलता है, गैर–लक्षित हाशिए वाले समूहों पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, और समग्र विकास के परिणामों को नुकसान भी नहीं होता है।

क्या राजनीतिक आरक्षण विकास को कमजोर करता है या उसे बढ़ावा देता है, तो किसके लिए? यह लेख भारत के 'अनुसूचित क्षेत्रों' का विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जहाँ ऐतिहासिक रूप से वंचित अनुसूचित जनजातियों के लिए राजनीतिक पद आरक्षित हैं। मनरेगा पर पड़ने वाले प्रभावों पर ध्यान देने से ज्ञात होता है कि आरक्षण का समग्र रूप से कोई बुरा परिणाम नहीं निकलता है। लक्षित अल्पसंख्यकों के लिए इसके कई लाभ हैं, जो अन्य अल्पसंख्यकों के बजाय अपेक्षाकृत विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की कीमत पर आते हैं।

भारत में राजनीतिक प्रतिज्ञानात्मक कार्रवाईया या आरक्षण लंबे समय से विवादित विषय रहे हैं। एक ओर यह कुछ उन लोगों को जुटाता है जो इसके कमजोर पड़ने के डर से इसका विस्तार नए अधिकार क्षेत्रों और अतिरिक्त सामाजिक समूहों तक करना चाहते हैं वहीं दूसरी ओर यह उन लोगों को एकजुट करता है जो मुखर रूप से इसका विरोध करते हैं। राजनीतिक दलों ने इसका पक्ष लिया है और हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान में निहित प्रतिज्ञानात्मक कार्रवाई प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्यों के दायित्वों पर जोर भी डाला है। हमें इस परजम कर बहस की जाने वाली तथा राजनीतिक विभाजनकारी नीति का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए?

एक तरीका यह है कि अपने सबसे मुखर विरोधियों के दावों पर आलोचनात्मक रूप से उत्तर दिया जाए। सामान्य रूप से आरक्षण के खिलाफ लोग इसके द्वारा विकास के प्रभावित होने के बारे में दो प्रमुख तर्क देते हैं। सबसे पहले, आरक्षण उन लोगों को सशक्त बना कर समग्र विकास के परिणामों को प्रभावित करेगाजो 'उच्च योग्यता' वाले व्यक्तियों की

तुलना में कम योग्य हैं तथा उनका स्थान ले लेते हैं। दूसरा, जहाँ तक आरक्षण एक लक्षित अल्पसंख्यक समूह को लाभ प्रदान करता है, यह लाभ उन अन्य कमजोर समूहों की कीमत पर आएगा जिनके साथ वे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जबकि इसका उद्देश्य यह था कि लाभ उन समूहों की कीमत पर आए जो यथास्थिति के अंतर्गत तुलनात्मक रूप से अधिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं। इन दावों का मूल्यांकन करना मुश्किल है क्योंकि इसके लिए न केवल आरक्षण के समग्र प्रभावों का पूरा लेखा–जोखा रखने की आवश्यकता होगी, बल्कि समाज में समूहों में उन प्रभावों को कैसे वितरित किया जाता है, इसका भी पूरा लेखा–जोखा करना होगा।

हमारे नए शोध (गुलजार एवं अन्य 2020) के परिणाम, जो इस तरह का एक लेखा–जोखा प्रदान करता है, वह प्रतिज्ञानात्मक कार्रवाई पर संशय करने वाले लोगों की उम्मीदों से काफी विपरीत है। वास्तव में, हम पाते हैं कि प्रतिज्ञानात्मक कार्रवाई समग्र विकास अथवा गैर लक्षित कमजोर समुदायों को बाधा पहुंचाए बिना राजनीतिक और आर्थिक शक्ति दोनों को पुनर्वितरित कर सकती है।

6. व्यापक प्रभाव

क्या मनरेगा पर देखे गए प्रभावों से परे चुनावी कोटा देने के कुछ निहितार्थ हैं? हमारे इस विश्वास को बढ़ाने के लिए कि चुनावी कोटा ने गरीब समुदायों के लिए परिणामों में सुधार किया है, और इस चिंता को दूर करने के लिए कि मनरेगा कार्यान्वयन में सुधार अन्य सरकारी कार्यक्रमों की कीमत पर आ सकता है –हम दो अतिरिक्त परिणामों पर कोटा के प्रभावों पर भी विचार करते हैं।

सबसे पहले, हम प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) गाँव की सड़कों के कार्यक्रम पर पड़ने वाले प्रभावों की जाँच करते हैं, जिसे 2000 में ग्रामीण गाँवों को हर मौसम में सड़क नेटवर्क से जोड़ने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। हम पाते हैं कि पंचायत अनुबंध (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम – पेसा) के तहत आरक्षण आने के परिणामस्वरूप सड़क संपर्क अधिक हुआ है, तथा यह प्रभाव केवल चुनावों के समावेशन के बाद होते हैं, जो यह इंगित करता है कि वास्तव में परिवर्तन के लिए चुनावी कोटा जिम्मेदार हैं।

आकृति 1. सड़कों पर चुनावी कोटा (पेसा) चुनाव के समावेशन का प्रभाव

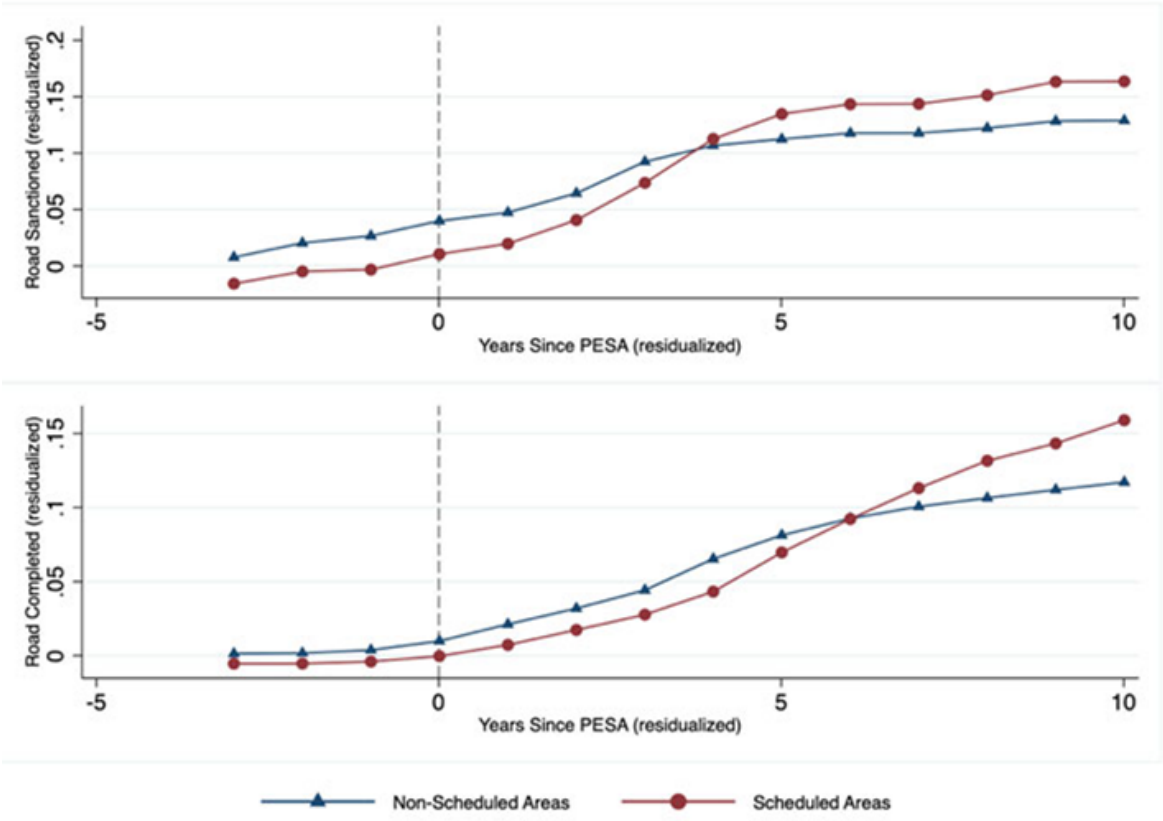

दूसरा, हम व्यापक सार्वजनिक वस्तुओं के प्रावधान पर अनुसूचित क्षेत्रों के प्रभावों पर विचार करते हैं जो गरीब समुदायों को लाभान्वित करते हैं और पाते हैं कि सड़कों, पानी, संचार और शिक्षा के औसत प्रावधान में भी सुधार होता है।

व्यापक प्रभावों के बारे में हमारा विश्लेषण बताता है कि कोटा के प्रभाव मनरेगा कार्यक्रम तक सीमित नहीं हैं, और हाशिए के समुदायों के कल्याण में कोटा राजनेताओं के तहत अधिक से अधिक निवेश की ओर इशारा करते हैं।

7. निष्कर्ष

निःसंदेह आज जाति आधारित आरक्षण समाज में द्वेष फैलाने का ही कार्य कर रहा है। यह स्थिति एवं परिस्थिति न तो समाज के लिए शुभ है और न ही सरकारों के लिए। होना तो यह चाहिए गरीब, वास्तविक पिछड़े दलित लोगों को शिक्षा फ्री कर देना चाहिए ताकि बाबा भीमराव अम्बेडकर की मंशा के अनुरूप ये शिक्षित हो न कि केवल आरक्षण की वैशाखी हो। इसमें सभी माननीय सांसद, विधायक, बुद्धजीवियों को मिलकर एक मुहीम चला। संविधान में आवश्यक संशोधन कर स्वस्थ्य जाति रहित समाज के निर्माण में महति भूमिका निभानी होगी।

सन्दर्भ

1. कोठारी, रजनी–कास्ट इन इण्डियन पॉलिटिक्स, आरियन्ट लाग्मैन पब्लि0, न्यू दिल्ली।
2. कौशिक सुशीला–भारतीय शासन एव राजनीति, कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली।
3. कश्यप सुभाष–दलबदल और राज्यों की राजनीति, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ।
4. दरडा रणजीत सिंह–भारतीय लोकतंत्र और आन्दोलन की राजनीति, लोकतंत्र समीक्षा, 1973
5. श्रीनिवास एम0एन0–कास्ट इन मार्डन इण्डिया, एशिया पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई।
6. दुबे अभय कुमार–राजनीति की किताब, संस्करण, 2003
7. दैनिक जागरण–सर्व समाज का रखेगे ख्याल–मायावती, 8 जुलाई, 2013
8. मिश्र आशीष–नियंता से वन गये वोट बैंक, इण्डिया टुडे, 29 मई 2013
9. मिश्र आशीष–मजहब देखकर मुवाबजा, इण्डिया टुडे, 10 जुलाई 2013

*****